छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर–अटल नगर

क्रमांक–एफ–1–09/31/एस–2/2016/2693 अटल नगर, दिनांक 22/06/2023

प्रति,

मुख्य अभियंता,
हसदेव गंगा कछार,
जल संसाधन विभाग,
अंबिकापुर (छ.ग.)

विषयः– **सूरजपुर जिले के विकासखंड–प्रतापपुर की महान नदी पर गोंदा एनीकट योजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति।**

संदर्भ :– 1.शासन का पत्र क्रमांक–2082/एफ–1–09/31/एस–2/2016, दिनांक 25.05.2016.
2. प्र.अ. का पत्र क्र.–1511/बोधी/RAA/2022/2566, दिनांक 17.03.2022.
3. मु.अ. का पत्र क्र.–4362/सा./पु.प्रशा.स्वी/2022, अंबिकापुर, दिनांक 27.12.2022.

––00––

राज्य शासन एतद्द्वारा सूरजपुर जिले के विकासखंड–प्रतापपुर की महान नदी पर गोंदा एनीकट योजना के निर्माण हेतु लागत राशि रु. 831.85 लाख (रुपये आठ करोड़ इक्तीस लाख पच्यासी हजार) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. योजना निस्तारी, भू–जल संवर्धन एवं कृषकों को स्वयं के साधन से 240 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हेतु प्रस्तावित है।

3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे।

4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग–एक के नियम–10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो ।

5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या–41, अनुसूचित जनजाति उपयोजना, 4702–लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, {102}–भू–तल जल, 0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना, (5059)–एनीकट/स्टापडेम निर्माण, #97–निर्माण कार्य, 003–बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।

6. वित्त विभाग द्वारा उनके जावक क्र.–301/सी.एन.–31–00343/बजट–2/वित्त/चार/2023, दिनांक 13.06.2023 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।

8. योजना की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।

. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अनुराग पाण्डेय)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

...2

E:\HKY\Sahu Sir\AARAA Aadesh.doc.docx

पृ.क्रमांक–एफ–1–09/31/एस–2/2016/2694 अटल नगर, दिनांक 22/06/2023

<u>प्रतिलिपि</u> :–

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
4. सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
5. सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
8. कलेक्टर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.)।
9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर ।
10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, अटल नगर ।
11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.–एम 4–22 अटल नगर।
12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर–अटल नगर।
13. अधीक्षण अभियंता, श्याम बरनई परियोजना मंडल अंबिकापुर, जिला–सरगुजा (छ.ग.)।
14. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग सूरजपुर, जिला–सूरजपुर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

15. आदेश फोल्डर।

कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)
22 JUN 2023
कक्ष..........

विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग